न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 154/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सरदारा पुत्र रूपचन्द जाति अहीर

2. चिरन्जी लाल पुत्र रूपचन्द जाति अहीर

निवासी ग्राम लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:——— अपीलांट

बनाम

1 मुंशी पुत्र चिमरू जाति चमार निवासी लालपुर
2 रामेश्वर पुत्र प्रभू जाति चमार निवासी लालपुर
3 लीलम पुत्र प्रभू जाति चमार निवासी लालपुर
4 प्रकाश पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी लालपुर
5 हरिकिशन पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी लालपुर
6 रामजस पुत्र रामस्वरूप जाति चमार निवासी लालपुर
7 मु0 फूल कौर बेवा रामस्वरूप जाति चमार निवासी लालपुर
8 राजेश पुत्र मुंशी जाति चमार निवासी लालपुर
तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:——— असल रेस्पो0

9 राजकिशोर पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण
10 रामानंद पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण
11 अशोक पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण
12 नरेश पुत्र जयनारायण जाति ब्राह्मण
13 मु0 कृष्णा बेवा छोटेलाल जाति ब्राह्मण
14 जोगेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल जाति ब्राह्मण नाबालिग सरपरस्त मु0 कृष्णा बेवा छोटेलाल माता स्वयं
15 धर्मचन्द पुत्र कन्हीराम जाति अहीर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16 लालाराम पुत्र गोरधन जाति अहीर,
17 बलबीर पुत्र रूपचन्द जाति अहीर
निवासी लालपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर
18 तहसीलदार, किशनगढबास हाल तहसीलदार, कोटकासिम
लैण्ड होल्डर

:——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
कोटकासिम दिनांक 13.8.2003

———————————————————

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री रामसिंह यादव

2. वकील असल रेस्पो0 :— श्री हरिशंकर गोयल

निर्णय दिनांक 9.11.2021

———— ——————

1 यह अपील विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा राजस्व वाद संख्या 303/1/309 अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 13.8.2003, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 500 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम लालपुर तहसील किशनगढबास सब तहसील कोटकासिम वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 17 व 18 सरदारा व चिरन्जी लाल का 4 बीघा 3 बिस्वा एवं तरतीवी प्रतिवादी धर्मचन्द व लालमन का 4 बीघा, तरतीबी प्रतिवादीगण कृष्णा व जोगेन्द्र का 4 बिस्वा एवं तरतीबी प्रतिवादीगण राजकिशोर, रामानन्द, अशोक, नरेश का 16 बिस्वा हिस्सा है और इसी हिस्से अनुसार काबिज है । असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी खसरा नम्बर 500 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा से कोई सम्बन्ध नहीं है । परन्तु उन्होंने हमारी उक्त आराजी के करीब 3 बिस्वा रकबे पर जबरन कब्जा कर लिया । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जाकर आराजी का विभाजन किया जावे तथा असल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रतिवादीगण से आराजी दिलाई जाकर उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद पत्र निर्णय दिनांक 13.8.2003 द्वारा खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर तरतीबी प्रतिवादी ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि हम विवादित भूमि के सह खातेदार है । हमको हमारी आराजी का विभाजन कराने का पूर्ण अधिकार है । तहत अदालत के समक्ष वादी की ओर से पैमाईश कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे तहत अदालत ने गलत तौर पर खारिज कर दिया । प्रकरण में पैमाईश कराना अत्यंत आवश्यक था । तहत अदालत ने प्लीडिंग्स के अनुसार आवश्यक तनकियात कायम नहीं की । असल प्रतिवादी संख्या 01 ला0 8 ने अपने जवाब दावा के चरण संख्या 01 में यह स्वीकार किया है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 9 ला0 18 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं और उनके नामों का अंकन राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में है, परन्तु तहत अदालत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया । प्रतिवादी रामेश्वर, हरिकिशन, प्रकाश ने अपना जवाब दिया है कि उन्होंने वादी एवं तरतीबी की 03 बिस्वा भूमि नहीं दबाई है । पैमायश में अगर उनके पास भूमि दबी हुई पाई जाती है तो वे भूमि छोडने को तैयार है । ऐसी स्थिति में तहत अदालत को पैमाईश करानी चाहिये थी । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि हमने इनकी भूमि का कोई रकबा नहीं दबाया है । इन्होंने ही आपस में भूमि दबा रखी है । इन्होंने हमारे खिलाफ 03 बिस्वा भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई थी । हमारे खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास में मुकदमा नम्बर 224/93 चला था, जिसमें हमको वर्ष 1997 में बरी कर दिया गया । स्पष्ट है कि हमने इनकी 3 बिस्वा भूमि नहीं दबाई है । दावा करने से पूर्व वादी ने कोई पैमाईश नहीं कराई थी । इसलिये वह कह सकता है कि प्रतिवादीगण ने उनकी 3 बिस्वा भूमि दबा रखी है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण में मुख्य विवाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 500 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा में से 3 बिस्वा असल प्रतिवादीगण द्वारा दबाया जाने से सम्बन्धित है । इस बिन्दू का निर्णय विवादित भूमि एवं इसके पास स्थित असल प्रतिवादीगण की भूमि की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

पैमाईश करा कर ही किया जा सकता है । वादी ने तहत अदालत में मौके की पैमाईश कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहत अदालत में पेश किया था, जिसे गलत तौर पर तहत अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था, क्योंकि विवाद के प्रश्न को पैमाईश रिपोर्ट से ही हल किया जा सकता है । तहत अदालत को चाहिये था कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश कराकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था । ऐसी स्थिति में हम दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश करा कर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.8.2003 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो दोनों पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश करावे । तत्पश्चात उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 31.12.2021 को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर